भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 219A/2017-18

डिबरु देवगम <u>बनाम</u> फागुराम टुडू

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 445 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 219A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता डिबरु देवगम, पिता–स्व0 रुटिया देवगम, ग्राम–कालाझरना, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता फागु राम टुडू, पिता स्व0 बंगाल टुडू, ग्राम–पान्डुगिति, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
कालाझरना	180	138	51	08डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 08डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.12 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'हो' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 08डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

13.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner